कार्यालय कलेक्टर जिला होशंगाबाद

:: आदेश ::

होशंगाबाद, दिनांक 31/08/2017

क्रमांक 11286/स्था/जिका/2017 : म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक एफ–2–10/2012/ सात/4–ए भोपाल दिनांक 11.09.2014 के अध्याधीन लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राजस्व विभाग अतंर्गत जिला स्तर पर कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के शेषांश बैकलॉग में प्रतिस्थापित 02 पद निश्चित वेतन राशि रूपये 10,000/– (दस हजार मात्र) प्रतिमाह के मान से निर्धारित भर्ती प्रक्रिया अतंर्गत गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 01.06.2017 को प्रसारित अभ्यार्थी की प्रतीक्षारत् सूची के अनुक्रमांक के आधार पर जिला स्तर पर रिक्त पद के विरूद्ध कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (लोकसेवा) के पद पर वर्णित शर्तो के अध्याधीन पदस्थ किया जाता है :–

क्रं.	अभ्यार्थी/पिता का नाम	पता	जाति	नियुक्ति संवर्ग	लिंग	नियुक्ति स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दिव्यांशु आ. श्री खजान सिंह सिकरवार	एम.आई.जी. 78 हाउसिंग बोर्ड कालोनी ऐशबाग भोपाल	अनारक्षित	अनारक्षित	पुरूष	अविअ कार्यालय होशंगाबाद
2	श्री रविनन्दन आ. श्री विश्वनाथ प्रसाद पटेल	ग्राम व पोस्ट बदवार तहसील गुढ़ जिला रीवा	अपिव	अपिव	पुरूष	तहसील कार्यालय डोलरिया

नियुक्त संविदा कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के वेतन पर आने वाला व्यय भार मांग संख्या 08 मुख्य लेखाशीर्ष 2053 जिला प्रशासन–उपमुख्य शीर्ष–094–अन्य स्थापनायें–योजना (6924) प्रमुख राजस्व आयुक्त (स्थापना)–11–वेतन भत्ते –025– संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक आयोजनेत्तर मद के अतंर्गत विकलनीय होगा।

नियुक्ति की शर्ते :–

1. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
2. नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) का (फिटनेस) चिकित्सा प्रमाण–पत्र, कार्य पर उपस्थित होन के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होगें।
4. नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
5. नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
6. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
7. नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।
8. नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन/कलेक्टर द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
9. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की दशा में 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
10. नियुक्त संविदा कर्मचारी की आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

अपर कलेक्टर
होशंगाबाद

43D:\2-8-2014\c drive mydocu\madhu\bharti data entry operator

11 नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।

12 नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।

13 नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

14 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जावेगा। प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाये जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा।

15 संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार किया जायेगा।

16 वार्षिकी मूल्यांकन हेतु प्रपत्र पृथक निर्देश से जारी किये जावेगें।

17 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समकक्ष नियमित संवर्ग को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

18 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।

19 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इस आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा।

20 बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का संविदा मानदेय देय नहीं होगा।

21 संविदा के अतंर्गत नियुक्त कर्मचारी का मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

22 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी ओर वह भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस शर्त का नियुक्ति आदेशों में स्पष्टतः उल्लेख किया जावेगा।

23 दस्तावेजों का सत्यापन चयन समिति करेगी। फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

24 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

25 किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिले के कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
जिला–होशंगाबाद

पृ. क्रमांक 11287/स्था/जिका/2017 होशंगाबाद, दिनांक 31/08/2017

प्रतिलिपि–

1. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महालेखाकार म.प्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी वित्त/लोकसेवा गारंटी/नाजरात शाखा जिला कार्यालय होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला कोषालय अधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. उप कोषालय अधिकारी .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. तहसीलदार होशंगाबाद/डोलरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित श्री ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अपर कलेक्टर
जिला–होशंगाबाद

45D:\2-8-2014\c drive mydocu\madhu\bharti data entry operator